4011/77/2018
24/6/18

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8
संख्या–620/आठ–8–18–28एल.यू.सी./2014
लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार मथुरा–वृन्दावन विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र क्रमशः ''हिन्दुस्तान'' एवं ''दैनिक राजपथ'' के स्थानीय संस्करण दिनांक 09.06.2015 में प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मथुरा–वृन्दावन विकास क्षेत्रान्तर्गत, मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में उनके सम्मुख अंकित भू–प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त भूमि पर ग्रामीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) की स्थापना से संबंधित राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त कर लेगें :–

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग
अकबरपुर	छाता	मथुरा	458	0.405	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं
कुल योग (हे0में)				**0.405**		

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–620(1)/आठ–8–18–28एल.यू.सी./2014

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 15.06.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

संख्या–620(2)/आठ–8–18–28एल.यू.सी./2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– जिलाधिकारी, मथुरा।
3– उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आर सेटी), ग्राम व पोस्ट चौमुहाँ, मथुरा।
6– गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

15.6.18

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव